जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट- प्लान) की 182वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

दैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बीं. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री दिनेश कुमार पवांर उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री कैलाश चन्द यादव, उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (III), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर
9. श्री सन्जु पारीक , तहसीलदार, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री किशन खाडा, सहायक नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा दिवरण:–

एजेण्डा संख्या :–1

182/28.09.2012 (जोन–1)

विषयः– भू. स. ए–2, योजना जय अम्बे नगर (स्कीम नं. 6) समिति सुभाष सुभाष सिंधी कॉप0हा0सो0लिव को अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया, कि इस भूखण्ड में पूर्व में व्यावसायिक गतिविधि चलायमान होने के कारण भूखण्ड को अनुमोदित मानचित्र में कोस कर 'सी' अंकित किया गया था। वर्तमान में जोन की रिर्पोट के अनुसार उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण कर रिहायशी उपयोग किया जा रहा हैं। अतः अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड ए–2 में अंकित कोस को हटाते हुए आवासीय उपयोग हेतू अनुमोदित किया जावे।

एजेण्डा संख्या :–2

182/28.09.2012 (जोन–6)

विषयः–निजी खातेदार की भूमि खसरा नं. 79/1 ग्राम महापुरा उर्फ कुकरखेडा तह. जयपुर में सृजित भूखण्ड क्षेत्रफल 555.55 व.ग. में सैटबैक परिवर्तन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन की मौके की रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 79/1 के दक्षिण की ओर के भूखण्ड स्वामी द्वारा चरपेटा रखे जाकर शून्य सैटबैक पर निर्माण किया हुआ हैं, इसलिए भूखण्ड संख्या 79/1 के दक्षिण की ओर के भूखण्ड में चरपेटा रखते हुए पूर्व में दिए हुए सैटबैक में निम्नानुसार आंशिक परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया:–

भूखण्ड संख्या–79/1 के दक्षिण की ओर–	शून्य सैटबैक (चरपेटा)
भूखण्ड संख्या 79/1 के उत्तर की ओर–	10'–0"
200'–0" सडक की ओर–	20'–0"
भूखण्ड के पीछे की ओर–	10'–0"

एजेण्डा संख्या :–3
182/28.09.2012 (जोन–7)

विषयः–भूखण्ड संख्या 90ए व 90बीं मरूधर विहार दी कृष्णा को ओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। मरूधर विहार योजना को 18.10.1984 की बीपीसी की बैठक में स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया था जिसमें भूखण्ड संख्या 90ए व 90बी का क्षेत्र पार्क हेतु रिजर्व क्षेत्र में दर्शाया हुआ है। राजस्थान हाइकोर्ट की डबल बैन्च में डी. बी सिविल रिट पिटिशन नं.–13084/09 में माननीय न्यायालय में सुविधा क्षेत्र व पार्क क्षेत्र की भूमि को सुविधा क्षेत्र व पार्क से मुक्त नहीं किए जाने के संबंध में निर्णय दिया हैं। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के संदर्भ में समिति ने भूखण्ड संख्या 90ए व 90बीं को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष प्रेषित एजेण्डा में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का एवं समस्त तथ्यों का उल्लेख क्यों नहीं किया है इसलिए अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन द्वारा उपायुक्त जोन से स्पष्टीकरण लिया जावें, कि उनके द्वारा एजेण्डा नोट में सम्पूर्ण तथ्यों को उजागर कियें जाकर प्रकरण निरस्त कियें जाने का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया गया।

एजेण्डा संख्या :–4
182/28.09.2012 (जोन–11)

विषयः–मैसर्स ट्रूवर्थ होल्डिगं प्रा.लि. जरिये निदेशक सीताराम चौपडा पुत्र श्री जगन्नाथ चौपडा ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 705/1 रकबा 2.02 हैक्ट. भूमि पर सेक्टर प्लान में दर्शित 60'–0" चौडी सडक के परिवर्तन के बदलाव बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव के अनुसार 60'–0" चौडी सडक को स्वीकृत किए जाने से अनावश्यक घुमाव बनता हैं, दुर्घटनाओं

का अंदेशा रहता है, इसलिए 60'–0" चौडी सडक को सेक्टर प्लान के अनुसार सीधी ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :– 5
182 / 28.09.2012 (जोन–8)

विषयः–पृथ्वीराज नगर क्षेत्र के प्रस्तावित सेक्टर प्लान में निजि खातेदारी की कृष्णा सरोवर योजना में अनुमोदित 24.00 मीटर प्रस्तावित संडक को 12.00 मीटर किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। मौके की रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा सरोवर में प्रस्तावित 60'–0" चौडी सडक मौके पर 71'–0" है इसलिए 11'–0" भूमि कृष्णा सरोवर योजना में अधिक होने के कारण 80'–0" चौडी सडक में कमी हुई हैं, इसलिए अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) कृष्णा सरोहर योजना की खसरों की भूमि तथा मैसर्स इंजिनियर्स प्रोपकोन गुड प्राइवेट लिमिटेड की खसरों की भूमि की जांच करें कि 24.0 मीटर चौडी सडक मौके पर 12.80 मीटर किस प्रकार से उपलब्ध हो रही हैं। खातेदारी योजना में 24.0 मीटर चौडी सडक के आधार पर व्यावसायीक दुकानें अनुमोदित की गई है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण के हिस्से की है, वह भी प्रवावित होगी। अतः सम्पूर्ण जांच कर रिर्पोट अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) द्वारा प्रस्तुत की जावें, जब तक प्रकरण को स्थगित रखें जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–1
182 / 28.09.2012 (जोन– 7)

विषयः–भूखण्ड संख्या 51 से 54 योजना हनुमान नगर–ए का पुर्नगठन किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 51, 52, 53, 54 हनुमान नगर–ए के पुर्नगठन भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 2972.62 वर्गगज है इसलिए निम्न सैटबैक के अनुसार पुर्नगठन स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।:–

पूर्व की ओर 60'–0" सडक–	40'–0"
दक्षिण 30'–0" सडक की ओर–	20'–0"
उत्तर 30'–0" सडक की ओर–	20'–0"
पश्चिम 60'–0" सडक की ओर–	20'–0"

भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमीटर से अधिक है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2
182 / 28.09.2012 (जोन–7)

विषयः–भूखण्ड संख्या–8 व 21 मरूधर विहार के पुर्नगठित भूखण्ड में सैटबैक में शिथिलता के संबंध में

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, विचार–विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस भूखण्डों का पुर्नगठन पूर्व में किया गया था जिसमें सैटबैक छोडने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सैटबैकस में शिथिलता सैद्वान्तिक रूप से मान्य करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को शिथिलता हेतू भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके सैटबैक निम्नानुसार हैः–

सैटबैकः–

उत्तर की ओर	30'–0'' सडक	20'–0''
पूर्व की ओर	भू. सं. 9, 20	7'–6''
दक्षिण की ओर	160'–0'' सडक	20'–0''
पश्चिम की ओर	30'–0'' सडक	10'–0''

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3
182 / 28.09.2012 (जोन–4)

विषयः–भूखण्ड संख्या के–39, किसान गृह निर्माण सहकारी समिति की इनकमटैक्स योजना (V) का क्षेत्रफल संशोधित करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया, जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार प्रश्नगत ब्लोक में तीन भूखण्ड सृजित है एवं दोनों समीपवर्ती भूखण्डों दक्षिणी ओर स्थित के–37 व उत्तरी ओर स्थित के– 40 की लीजडीड पूर्व में ही जारी की जा चुकी है तथा सामने सडक व पीछे की ओर अन्य की भूमि हैं। भूखण्ड संख्या के –39 में 22'× 75'=183.33 वर्गगज भूमि अतिरिक्त आवेदक के कब्जे में उपलब्ध है, अर्थात कुल भूखण्ड 72'×75'=600 वर्गगज मौके पर उपलब्ध है जबकि अनुमोदित मानचित्र में 50'×75'=416.66 वर्गगज का भूखण्ड दर्शित है। अतः समिति द्वारा उपरोक्त के आधार पर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या के – 39 में 22'×75'=183.33 वर्गगज अधिक भूमि का नियमन राज्य सरकार में आदेश कमांक प.–5(3) नविवि /3/99 दिनांक 7.01.2000 के बिन्दु संख्या 3 एवं जविप्रा द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार नियमानुसार राशी लेकर किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

04/x/12

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2012 / डी– 184
दिनांकः– 4/10/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

04/x/12

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।